जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.09.2024

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 02 गौ-तस्करों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 27.07.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए 05 टीमों का गठन कर घटना का शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे।

उक्त घटना को लेकर आमजनमानस में काफी रोष व्याप्त था। इनके इस कृत्य के कारण लोक-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना थी। उक्त घटना के अनावरण को लेकर प्रबुद्ध वर्ग द्वारा जिला पुलिस/प्रशासन को ज्ञापन भी दिये गये थे।

दिनांक 02.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाल के जंगल में हुई गौकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त **गौ-तस्कर सरगना इरशाद उर्फ भूरा पुत्र मुन्तियाज निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली** को उसके साथियों नसीम, साहिल, सौरभ, सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी थी। अभियुक्तों के कब्जे से पशु कटान के उपकरण व घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई थी। घटना में लिप्त 03 अन्य अभियुक्त जुनैद व शमीम को दिनांक 05.08.2024 व आसिफ को दिनांक 29.08.2024 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि उपरोक्त मामले में **दिनांक 12.09.2024 को** गौ-तस्कर सरगना **इरशाद उर्फ भूरा** के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध** किया जा चुका है।

इसी क्रम में दिनांक 25.09.2024 को गौकशी की घटनाओं की रोकथाम एवं गौ-तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम गौकशी की घटना में लिप्त **गौ-तस्कर 1.आसिफ उर्फ सोनू पुत्र रहीस निवासी ग्राम गंगेरु थाना कांधला जनपद शामली 2.सौरभ पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली** के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध** किया गया है।

थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 23.09.2024 को थाना कांधला पर नामजद तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शोएब पुत्र जुल्फिकार निवासी मौहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 अरविन्द कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 सूर्यप्रताप थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शिव नारायण उर्फ धन्नू पुत्र शगुना निवासी ग्राम इस्सोपुर टील थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 20 पव्वे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 कुल्दीप कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 आशुतोष नागर थाना कांधला जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 26.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सेठपाल उर्फ सेठा पुत्र कदम सिंह निवासी खेडा कुर्तान थाना कांधला जनपद शामली।

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गुमशुदा 01 नाबालिग बालक को त्वरित कार्यवाही करते हुए सकुशल बरामद कर, परिजनों के सुपुर्द किया गयाः-

आज दिनांक 26.09.2024 को थाना आदर्श मण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बालक आदित्य अपने घर से चला गया था तथा वापस नही लौटा था जिसके सम्बन्ध में बालक के परिजन द्वारा थाना आदर्श मण्डी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना आदर्श मण्डी को गुमशुदा बालक की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को ही थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा गुमशुदा हुए बालक को हनुमान टिल्ला शामली के पास से सकुशल बरामद किया गया है। बरामद बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। थाना आदर्श मण्डी पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुमशुदा बालक आदित्य ने घर से बिना बताये चले जाने के बारे में बताया कि वह अपनी मां की डांट से क्षुब्ध होकर घर से चला गया था।

गुमशुदा बालक का नाम व पताः-

1.आदित्य प्रताप पुत्र भानु प्रताप निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गुमशुदा को बरामद करने लाने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री सचिन शर्मा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.है0का0 अरुण थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.का0 विजयकान्त थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

5.का0 अक्षय मावी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 14,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2003 में अभियुक्तगण 1.शमशाद उर्फ काला पुत्र अनवर निवासी रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर 2.जरीफ पुत्र चुन्नू निवासी हर्रा थाना सरुरपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 395/2003 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000-1,000/-रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2017 में अभियुक्त 1.हनीफ पुत्र ईशाक निवासी खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 391/2017 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 6,000/-रु0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2022 में अभियुक्त मारुफ उर्फ बिल्लू पुत्र मुकरीम निवासी मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 619/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2010 में अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी भावसा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 199/10 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी अवधि के कारावास की सजा व 4,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.शमशाद उर्फ काला पुत्र अनवर निवासी रसूलपुर दभेडी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
2.जरीफ पुत्र चुन्नू निवासी हर्रा थाना सरुरपुर जनपद मेरठ।
3.हनीफ पुत्र ईशाक निवासी खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
4.मारुफ उर्फ बिल्लू पुत्र मुकरीम निवासी मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।
5.कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी भावसा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI